न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00281 (73/2011) 225 आरटीएक्ट

लियाकत अली पुत्र उमरहयात जाति मुसलमान निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश दिनांक 05.05.2011 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्रकरण संख्या 18/2011 बअनवानी लियाकत अली बनाम सरकार

श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–30.04.2019

1. अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि वह प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में उसने अलग से वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी प्रश्नगत पर काबिज है, प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि पर अप्रार्थी दलख देने, फसल कुर्क करने व तावान की कार्यवाही से ताफैसला दाया निषेध रहे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.05.2011 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहसें सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत रकबा कस्टोडियन विभाग श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.04.1974 को अपीलाण्ट/प्रार्थी के दादा को आवंटित हुआ था। वह प्रश्नगत चक 10 एमकेएस के प. नं. 186/24 की 8 बीघा भूमि पर अतिक्रमी नहीं है। मात्र मुकदमेबाजी की वजह स इस 8 बीघा का रिकार्ड में अमलदरामद नहीं हो सका। इस 8 बीघा आराजी बाबत आवंटन रामचन्द नामक व्यक्ति से मुकदमाबाजी होने से रिकार्ड में आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन आज तक बहाल है। मुकदमेबाजी के कारण सहायक कलक्टर द्वारा कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया गयाथा बाद में रिसीवर निरस्त हो जाने सहायक कलक्टर व तहसीलदार साहब के आदेश से इस 8 बीघा का कब्जा प्रार्थी के पिता को पुनः दिलाया गया। मुकदमा राजस्व मण्डल अजमेर से भी अंतिम रूप से निस्तारित हो चुका है। अमलदरामद नहीं होने से तहसीलदार ने तावान की कार्यवाही कर दी जो कतई अवैध थी। रिकार्ड में रकबा राज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पड़ता हैइसलिए सुविधा का सुतुलन अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के हक में है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में भूमि आराजीराज दर्ज है। प्रार्थी के दादा को आवंटित नहीं है। आराजीराज भूमि पर प्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाकर भूमि काश्त की है अर्थात राजकीय भूमि पर बिना किसी आधार के काश्त की है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के नियमों के अन्तर्गत ही प्रार्थी के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है व राजकीय भूमि पर खड़ी फसल का नियमानुसार कुर्क कर निलामी की कार्यवाही की जावेगी। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का कोई हक व अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. धारा–5 मियाद अधिनियम में अंकित एवं पत्रावली में आये तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।
7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसके दादा को आवंटित हुई थी, जिसके आधार पर वह उक्त भूमि पर काबिज है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी चक 10 एम.के.एस.ए. संवत 2066–2069 संलग्न है। इस जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि राज सरकार राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट के दादा को यदि प्रश्नगत भूमि आवंटित हुई थी तो इसका अंकन जमाबंदी में होना चाहिए था, जो नहीं है। आराजीराज या राजकीय भूमि पर काबिज होने से किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं। रिकार्ड के अनुसार भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार की है एवं यदि अपलाण्ट उस पर बिना किसी हक अधिकार के काबिज है तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नही है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2011 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/4/19

(मूल चन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official